रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112021-231029 CG-DL-E-11112021-231029

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641] No. 641] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/कार्तिक 20, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2021

संख्या 66/2021-सीमा शुल्क (एडीडी)

का.आ. 790(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य (एतिश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका" (एतिश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2811 22 00 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना संख्या 6/40/2020-डीजीटीआर, दिनांक 20 सितम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए इस पर प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जरूरी है और उन्होंने विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा

6523 GI/2021 (1)

9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा :-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत:	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	माप इकाई	मुद्रा
		विवरण	उत्पादन का देश					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	28112200	अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	मेसर्स शेनडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कं, लिमिटेड	1,018	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर
2.	28112200	अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	वेकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजीगांग) कं, लिमिटेड	शून्य	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर
3.	28112200	अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी उत्पादक	1,296	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर
4.	28112200	अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका	चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से भिन्न कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	1,296	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर
5.	28112200	अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	ओआईसी कंपनी लिमिटेड	शून्य	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर
6.	28112200	अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 5 में उल्लिखित कोई भी उत्पादक	373	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर
7.	28112200	अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका	कोरिया गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	373	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा। स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वहीं दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/234/2021-टीओ (टीआरयू-1)-सीबीईसी] गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2021 No. 66/2021-Customs (ADD)

S.O. 790(E).—Whereas, in the matter of "Untreated Fumed Silica" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 2811 22 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from the People's Republic of China and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 6/40/2020-DGTR, dated the 20th September, 2021, has come to the conclusion that imposition of anti-dumping duty is required to offset the injury to the domestic industry caused by the dumped imports of subject goods from the subject country and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table namely:-

Table

S.No.	Tariff	-	Country	Country of	Producer	Amount	Unit of	Currency
	Item	of goods	of Origin	Export			measure- ment	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	28112200	Untreated	China PR	Any country	M/s Shandong	1,018	MT	US\$
		fumed silica		including	Dongyue Silicone			
				China PR	Material Co., Ltd.			
2.	28112200	Untreated	China PR	Any country	Wacker	NIL	MT	US\$
		fumed silica		including	Chemicals Fumed			
				China PR	Silica			
					(Zhangjiagang)			
					Co., Ltd.			

3.	28112200	Untreated fumed silica	China PR	Any country including China PR	Any producer other than S.No. 1. and 2.	1,296	MT	US\$
4.	28112200	Untreated fumed silica	Any country other than China PR and Korea RP	China PR	Any	1,296	MT	US\$
5.	28112200	Untreated fumed silica	Korea RP	Any country including Korea RP	OCI Company Limited	NIL	MT	US\$
6.	28112200	Untreated fumed silica		Any country including Korea RP	Any producer other than S.N. 5.	373	MT	US\$
7.	28112200	Untreated fumed silica	Any country other than Korea RP and China PR	Korea RP	Any	373	MT	US\$

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.-(1) For the purposes of this notification, the rate of exchange applicable for the calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/234/2021-TO(TRU-1)-CBEC] GAURAV SINGH, Dy. Secy.